हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 जून, 2017

संख्या लैज. 10/2017.– दि पंजाब विल्–इज कॉमन लैन्डज (रेगयूलेशॅन) हरियाणा ॲमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 18 मई, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 10

पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2017

पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन)

अधिनियम, 1961, हरियाणा राज्यार्थ,

को आगे संशोधित

करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 5क की उपधारा (2) के बाद, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :– 1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 5क का संशोधन।

"(3) 4 अप्रैल, 2007 से पूर्व पंचायत द्वारा संकल्प पारित करते हुए तथा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड या किसी अभिकरण को उपहार में दी गई शामलात देह में भूमि, पंचायत द्वारा उक्त संकल्प का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित करते हुए, विनियमित की जाएगी। राज्य सरकार ऐसे संकल्प का अनुमोदन प्रदान कर सकती है।"।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

55372—L.R.—H.G.P., Chd.